सर्विलेन्स प्लान

एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू)

वर्ष 2016–17

पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं एक्शन प्लान के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के तहत बर्डफ्लू रोग से बचाव हेतु प्रीपेयर्डनेस, कन्ट्रोल एवं कन्टेनमेन्ट के लिए एक प्रभावी रणनीति वर्ष 2005 से सतत चला रहा है।

प्रदेश में कुक्कुट पक्षियों की संख्या 1.87 करोड़ है जिसमें लगभग 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री है जहॉ मुख्यतया कुक्कट पक्षियों को अण्डा एवं मांस उत्पादन हेतु (क्नंस चनतचवेम) पाला जाता है। यहां पक्षियों की अन्य प्रजातियां जैसे–बटेर, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, इत्यादि की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2013–14 में प्रदेश में एक करोड़ अण्डा प्रतिदिन उत्पादन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत 30000 कामर्शियल लेयर क्षमता की 200 इकाईयॉ तथा वर्ष 2015–16 माह जनवरी–2016 से 10000 पक्षी क्षमता की 630 इकाईयॉ (कुल 123 लाख लेयर पक्षी) स्थापित करायी जा रही हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मांस उत्पादन हेतु भी अनेक ब्रायलर फार्म भी स्थापित हैं। प्रदेश में 11 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं 01 बटेर पक्षी प्रक्षेत्र भी स्थापित हैं।

भारत वर्ष में बर्डफ्लू रोग से बचाव हेतु प्रीपेयर्डनेस कन्ट्रोल एवं कन्टेनमेन्ट हेतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा मार्च–2015 में संशोधित एक्शन प्लान जारी किया गया है जिसके निर्देशों के अनुरूप उ0प्र0 में भी इस रोग से बचाव हेतु विभिन्न प्रयास लागू हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1– सर्विलेन्स

प्रदेश स्तर पर लगातार प्रत्येक जनपद में स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्रों, उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 के अन्तर्गत स्थापित कुक्कुट इकाईयॉ, पक्षी अभ्यारण्यों तथा वाटर बाडीज एवं बैकयार्ड पोल्ट्री के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में कुक्कुट प्रक्षेत्रों की सूचना, सड़क मार्ग तथा टीकाकरण एवं रोग की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिये गये हैं।

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पोल्ट्री एवं प्रवासी पक्षियों का गम्भीरतापूर्वक सर्विलेन्स किया जाये। इस हेतु बैकयार्ड पोल्ट्री, पोल्ट्री दुकान/बाजार, प्रवासी पक्षियों के मार्ग, वन्य जीव अभ्यरण, पक्षी अभ्यरण, नेशनल पार्क, जलाशय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों का लगातार सर्विलेन्स किया जाये।

वायरोलॉजिकल सर्विलेन्स हेतु क्लोएकल तथा ओरोफेरेन्जियल स्वैब, उचित पैकिंग में कैडरेड प्रयोगशाला, आई0वी0आर0आई0, इज्जत नगर, बरेली नियमित रूप से प्रेषित किये जा रहे हैं।

सीरोलॉजिकल सर्विलेन्स हेतु पक्षियों के सीरम सैम्पुल भी कैडरेड प्रयोगशाला, आई0वी0आर0आई0, इज्जत नगर, बरेली को नियमित रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

घरेलू पक्षियों एवं प्रवासीय पक्षी अभ्यारण्य तथा पक्षियों में कहीं भी होने वाली अस्वाभाविक मृत्यु की तत्काल सूचना प्राप्त करने हेतु विभागीय

अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों (वन, चिकित्सा, सिंचाई पर्यावरण इत्यादि) को जानकारी दी गई है। रोगी पक्षियों की प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त एवियन इन्फ्लूएन्जा रोग की आशंका होने पर कम से कम 5 पक्षी (हाल में मृत अथवा रोगी पक्षियों को मारने के बाद), 10 स्वस्थ पक्षियों के क्लोएकल एवं ओरोफेरिन्जियल/ट्रैक्यिल स्वैब सैम्पुल तथा 10 रोगी पक्षियों के सीरम सैम्पुल एन0आई0एस0एच0ए0डी0, प्रयोगशाला, भोपाल उचित पैकिंग में विशेष वाहक के द्वारा प्रेषित किये जायें तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (एल0एच0), पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार को भी प्रेषित की जाये।

उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चिन्हित अठारह वाटर बाडीज एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं:

क्र0सं0	वाटरबाडी का नाम	जनपद का नाम	क्र0सं0	वाटरबाडी का नाम	जनपद का नाम
1.	वखीरा	संत कबीर नगर	10.	सुरहाताल	बलिया
2.	नेशनल चम्बल	आगरा	11.	पटना	एटा
3.	नवाबगंज	उन्नाव	12.	समन	मैनपुरी
4.	पार्वती आरावगा	गोण्डा	13.	कुर्रा झील	इटावा
5.	सुर सरोवर	आगरा	14.	नरौरा	बहराइच
6.	सांडी	हरदोई	15.	प्रयागपुर	बहराइच
7.	लखबाहोसी	कन्नौज	16.	सरसई नवा	इटावा
8.	कुन्दीजा मार्शलेन्ड	मैनपुरी	17.	साज झील	मैनपुरी
9.	समसपुर	रायबरेली	18.	शेखा झील	अलीगढ़

विशेष सर्विलेंसः– देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, एस0पी0एफ0 बिहार, ए0आई0सी0आर0डी0, आसाम एवं सी0पी0डी0ओ0, हेसरघट्टा तथा नेपाल देश इत्यादि में बर्डफ्लू रोग की विगत वर्षो में पुष्टि के उपरान्त उत्तर प्रदेश में विशेष सर्विलेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के वे जनपद जो प्रवासी पक्षियों के अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग में आते हैं, उन जनपदों के अधिकारियों को विशेषकर सितम्बर से मार्च के अन्त तक सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं, प्रवासीय पक्षियों के मृत पाये जाने की स्थिति में अविलम्ब मृत पक्षी को भोपाल की प्रयोगशाला भेजने के निर्देश हैं।

विशेष सर्विलेंस हेतु प्रदेश में पक्षियों के घनत्व तथा प्रवासीय पक्षियों के अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग को प्रदेश के मानचित्र पर दर्शाते हुए विशेष सर्तकता बरते जाने हेतु प्रदेश का सर्विलेंस प्लान तैयार कर भारत सरकार को भी प्रेषित किया जा चुका है

एवियन इन्फ्लूएन्जा सर्विलेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित कार्ययोजना–2015 के निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिनको सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जा चुका है:–

1. कलिंग जोन (इन्फेक्टेड जोन) का क्षेत्र संक्रमण के केन्द्र से 3 कि0मी0 की परिधि से कम करके अब 1 कि0मी0 कर दिया गया है तथा 1–10 कि0मी0 के परिधि के क्षेत्र को सर्विलेन्स जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

2. संक्रमित क्षेत्र में दोबारा पक्षी पालने की अनुमति सेनेटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी होने के 90 दिन बाद दी जायेगी। सेनेटाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।

सामान्य प्रिपेयर्डनस कार्यक्रम के अन्तर्गत रूटीन सर्विलेन्स में पक्षियों की भौतिक, क्लीनिकल और वायरोलॉजिकल जॉच कुक्कुट और जंगली पक्षियों में जहॉ आवश्यक हो, की जायेगी अर्थात पक्षियों को एच0पी0ए0आई0 रोग के भौतिक और क्लीनिकल लक्षणों, बीमारी और मृत्यु दर के आधार पर अच्छी तरह जॉच करने के उपरान्त एच0पी0ए0आई0 रोग की आशंका होने पर कम से कम 5 पक्षी (हाल में मृत अथवा रोगी पक्षियों को मारने के बाद), 10 स्वस्थ पक्षियों के क्लोएकल एवं ओरोफेरिन्जियल/ट्रैक्यिल स्वैब सैम्पुल तथा 10 रोगी पक्षियों के सीरम सैम्पुल एन0आई0एस0एच0ए0डी0, प्रयोगशाला, भोपाल उचित पैकिंग में विशेष वाहक के द्वारा प्रेषित किये जायें तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (एल0एच0), पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार को भी प्रेषित की जाये।

3. नमूनों को उपरोक्त प्रयोगशालाओं में भेजते समय प्रारूप–प्ट पर वांछित सभी सूचनाओं के साथ प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि इसके बिना कोई नमूना प्रयोगशालाओं में स्वीकार नही किया जायेगा।

2– नमूनों का एकत्रीकरणः–

अभी तक पूरे प्रदेश को भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों एवं निर्देशों के अनुपालन में सीरो सर्विलींस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से दस मण्डलीय प्रयोगशालाओं (इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मुरादाबाद गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, आगरा, मेरठ, बरेली) को 5 सीरम नमूने प्रति जनपद प्रतिमाह की दर से 75 जनपदों से 375 नमूने प्रतिमाह एवं 4500 नमूने प्रतिवर्ष कैडरेड प्रयोगशाला, आई0वी0आर0आई0, इज्जत नगर, बरेली को प्रयोगशाला सीधे प्रेषित किये जा रहे हैं तथा संदिग्ध मृत पक्षी की जांच हेतु मृत पक्षी/स्वैब (ट्रेकियाल, क्लोएक्ल) भोपाल की प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। नमूनों के एकत्रीकरण तथा कोल्ड चेन में रख रखाव एवं ट्रांसपोटेशन से सम्बन्धित विशेष तकनीकी दिशा निर्देश समस्त पशुचिकित्सा विद प्रयोगशाला प्रभारियों, मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को मार्ग दर्शन हेतु प्रेषित किये गये हैं ताकि नमूने सही तरीके से प्रयोगशाला जांच हेतु पहुॅच सकें।

प्रेषित नमूनों का विवरणः–

क्रमांक	वर्ष	सीरम सैम्पुल	स्वैब सैम्पुल
1.	2013–14	1825	1175
2.	2014–15	2177	3776
3.	2015–16	3603	4930

माह जून 2016 तक किसी भी नमूने के पाजिटिव होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

3– मानीटरिंगः–

(अ) विभागीय आर0आर0टी0 :– बर्डफ्लू रोग के सर्विलेंस कार्यक्रम की मानीटरिंग रैपिड रेस्पांस टीम तथा विभिन्न कमेटियों के माध्यम से सम्पादित की जाती है।

- प्रत्येक जनपद में 5 रैपिड रेस्पांस टीम गठित की गयी हैं। इस प्रकार प्रदेश के 75 जनपदों में 375 आर0आर0टी0 गठित हैं। एक आर0आर0टी0 में सम्मिलित सदस्य इस प्रकार हैंः–

  पशुचिकित्साधिकारी– 1
  पशुधन प्रसार अधिकारी/फार्मेसिस्ट– 2
  चतुर्थश्रेणी कर्मचारी– 2

- प्रत्येक टीम अपने जनपद में बर्डफ्लू के सर्विलेंस का कार्य मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी की देखरेख में सम्पादित करती है तथा प्रतिमाह सूचना निदेशालय को प्रेषित करती है।
- विशेष सर्विलेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रवासीय पक्षियों के अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग में आने वाले जनपदों की रैपिड रेस्पांस टीमें वन विभाग तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लगतार सम्पर्क बनाकर रखती है तथा आवश्यकतानुसार सूचनाएं सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुॅचाती हैं।
- प्रदेश स्तर पर पशुपालन निदेशालय में पशुधन समस्या निवारण केन्द्र/कन्ट्रोल रूप की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नम्बर–18001804151, 0522–2741991, 2741992 तथा फैक्स नम्बर 0522–2740832 ईमेल– कपतमबजवत/लीववण्बवउए कपतंीकण्नच/दपबण्बवउ है जिसके माध्यम से सूचनाओं को आदान–प्रदान त्वरित गति से किया जा सकता है तथा पशुपालक अपनी समस्या बता सकता है।

(ब) जनपद स्तरीय टास्कफोर्सः–

प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशुपालन, स्वाथ्य, वन, सिंचाई, राजस्व, कर एवं निबन्धन, पंचायती राज, नगर निकाय, पर्यावरण एवं सूचना विभाग, उ0प्र0 के सदस्यों की एक टास्कफोर्स कमेटी गठित है जिसे प्रत्येक माह बैठक कर जनपद स्तरीय समीक्षा करने के निर्देश हैं।

(स) शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कोर ग्रुप के अन्तर्गत टास्कफोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है जिसमें बर्डफ्लू की रोकथाम विषय पर सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श उपरान्त समीक्षा कर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

प्रदेश की प्रीपेयर्डनेस की मानीटरिंग हेतु राज्य एवं जनपद स्तरीय टास्कफोर्स की संरचनाः

राज्य स्तरः

मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
प्रमुख सचिव(गृह)	सदस्य
प्रमुख सचिव(स्वास्थ्य)	सदस्य
प्रमुख सचिव(पर्यावरण)	सदस्य
प्रमुख सचिव (वन)	सदस्य
प्रमुख सचिव(सिंचाई)	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव(पशुधन)	सदस्य
निदेशक,पशुपालन	सदस्य

कोर ग्रुप कमेटीः–

कृषि उत्पादन आयुक्त	**अध्यक्ष**
सचिव(गृह)	सदस्य
सचिव(स्वास्थ्य)	सदस्य
सचिव(पर्यावरण)	सदस्य
सचिव(वन)	सदस्य
सचिव (सिंचाई)	सदस्य
सचिव(पशुधन)	सदस्य
निदेशक,पशुपालन	सदस्य

इसके अतिरिक्त निदेशालय पशुपालन स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता में बारह सदस्यीय टास्कफोर्स गठित है।

1. अपर निदेशक, ग्रेड–1 (कुक्कुट एवं अन्य विकास) सदस्य
2. अपर निदेशक, ग्रेड–1 (गोधन विकास) सदस्य
3. अपर निदेशक, ग्रेड–2, लखनऊ मण्डल सदस्य
4. संयुक्त निदेशक (नियोजन) सदस्य
5. संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) सदस्य
6. संयुक्त निदेशक (कुक्कुट रोग नियंत्रण) सदस्य
7. संयुक्त निदेशक (कुक्कुट रोग निदान) सदस्य
8. संयुक्त निदेशक (कुक्कुट पैथालॉजी) सदस्य
9. संयुक्त निदेशक (इपीडिमियोलॉजी) सदस्य
10. उपनिदेशक (कुक्कुट)–द्वितीय सदस्य
11. उपनिदेशक (कुक्कुट)–प्रथम सदस्य
12. उपनिदेशक (कुक्कुट रोग निदान) सदस्य

जिला स्तरीय आर0आर0टी0:–

जिला अधिकारी	**अध्यक्ष**
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला पर्यावरण अधिकारी	सदस्य
जिला वन अधिकारी	सदस्य
जिला स्तरीय सिंचाई विभाग के अधिकारी	सदस्य
जिला स्तरीय पंचायत अधिकारी	सदस्य
जिला स्तरीय सूचना अधिकारी	सदस्य

4– प्रशिक्षण–

(अ) बर्डफ्लू रोग के विषय में विभागीय तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को माह सितम्बर, 2008 से पूर्व भारत सरकार तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त सहयोग से पशुपालन विभाग के 1396 पशुचिकित्साविदों तथा 110 अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस रोग के विषय में तथा कन्ट्रोल एवं कन्टेनमेन्ट विषय पर सभी आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

(ब) प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा कुछ विभागीय पशुचिकित्साविदों को डब्लू0आर0डी0डी0 एल0 पुणें से भी प्रशिक्षित कराया गया है।

(स) **कैपेसिटी बिल्डिंग** हेतु माह सितम्बर, 2008 से वृहद स्तर पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पशुपालन विभाग के सभी कार्यरत पशुचिकित्साविद एवं पैरावेटरेरिनरी स्टाफ को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया गया है, इसी प्रशिक्षण के साथ सभी सम्बन्धित अन्य विभागों की आर0आर0टी0 के सदस्यों (प्रत्येक जनपद में 100) को भी प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण के द्वारा–

पशुचिकित्साविद–	1263
पैरावेट्स	7689
अन्य विभागों के	7000
कुल	**15952**

सदस्यों को बर्डफ्लू रोग के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान कर प्रदेश में कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य किया जा चुका है।

(द) इसी प्रकार भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण स्तर ''विलेज लाइवस्टाक लिंक वर्कर'' (पॉच गॉवों में एक) के प्रशिक्षण का कार्य (47 प्रतिशत ग्रामों हेतु) पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण के द्वारा 9208 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दोनो प्रशिक्षण में उपयोग धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

(य) बर्ड फ्लू रोग के बारे में पशुपालन विभाग के समस्त पशु चिकित्साविद्ों, आर0आर0टी0 के सदस्यों एवं पैरावेटरीनरी स्टाफ तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2008 में प्रशिक्षण दिया गया था। जिसको लगभग 7 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। सम्बन्धित स्टाफ को बर्ड फ्लू रोग, इसके नियंत्रण, रोकथाम एवं सर्विलेन्स की अत्यावधिक तकनीकी ज्ञान से अपडेट रखना

अतिआवश्यक है। इसलिए सम्बन्धित स्टाफ को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रति जनपद रू0 3.00 लाख की दर से कुल रू0 225. 00 लाख तथा मुख्यालय स्तर पर रू0 3.00 लाख इस प्रकार कुल योग रू0 228. 00 लाख का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या–84/बर्ड फ्लू/रोग नियंत्रण दिनांक 20.11.2015 द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन से भारत सरकार को अपने स्तर से प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।।

5. बायोसिक्योरिटी

राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा कुक्कुट पालकों के पक्षियों को बर्ड फ्लू रोग से बचाव हेतु बायोसिक्योरिटी सम्बन्धी उपाय किया जाना आवश्यक है। इस कार्यालय के पत्र संख्या–99/सात–3/कुक्कुट/बर्ड फ्लू/सर्विलेन्स/ 2016–17 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा भारत सरकार से प्राप्त संशोधित एक्शन प्लान–2015 एवं संशोधित बायोसिक्योरिटी गाइडलाइन अगस्त–2015 समस्त मुख्य पशु चिकित्सधिकारियों एवं मण्डलीय अपर निदेशकों को अपने जनपदों के पोल्ट्री फार्म, राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर सामान्य बायोसिक्योरिटी के अनुपालन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

सभी राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर बायोसिक्योरिटी व्यवस्था लागू करने की एक योजना तैयार की गई है। धनराशि की व्यवस्था होने पर इसे लागू किया जायेगा।

6– आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु तैयारियां एवं आवश्यक सामग्रियों का भण्डारणः

1- निदेशालय स्तर पर वर्तमान में 1500 पी0पी0ई0 किट तथा 120 एन–95 फेसमास्क उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा गत वर्षो में 4600 पी0पी0ई0 किट, 350 स्प्रेयर्स तथा 11,775 एन–95 फेस मास्क क्रय कर विभिन्न जनपदों को वितरित किये हैं जो कि आवश्यकतानुसार प्रयोग किये जा रहे हैं। आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त मात्रा में उपरोक्त सामग्रियॉ उपलब्ध करा देगा।

2- निदेशालय स्तर पर 16 फागिंग मशीन उपलब्ध हैं।

3- गत वर्षो में पक्षियों को परित्यक्त करने, कन्ट्रोल एवं कन्टेनमेन्ट हेतु माक 'डिमास्ट्रेशन' तीन जनपदों बरेली, वाराणसी तथा गोरखपुर में कराया जा चुका है।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त कन्ट्रोल एवं कन्टेनमेन्ट की समस्त जानकारियां जनपद स्तरीय प्रशिक्षण के द्वारा दी जा चुकी हैं।

5- बर्डफ्लू रोग के आउटब्रेक होने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर सभी जिला अधिकारियों को पक्षियों एवं कुक्कुट सामग्रियों को प्रभावित क्षेत्रों से बाहर नहीं ले जाने हेतु **दि प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एण्ड कन्टेजियस डिजीजेज इन एनीमल्स एक्ट–2009** के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

6- बर्ड फ्लू की किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु तथा सामान्य सर्विलेन्स के संचालन हेतु निम्न प्रकार धनराशि की आवश्यकता है, जिसकी मांग एस्कैड

योजनान्तर्गत भारत सरकार से निदेशालय के प0सं0136/सा0–1/ग–120(4)/एस्कैड–कार्ययोजना/2016–17 दि0 15.5.2016 के द्वारा की गयी है।

एवियन इन्फ्लूएन्जा नियंत्रण कार्यवाही हेतु उपकरण/औजार एवं अन्य सामग्री

क्रमांक	**सामग्री/कार्य**	**उपलब्ध संख्या**	**वांछित संख्या**	**अनुमानित धनराशि वार्षिक कार्य योजना 2015–16 के लिए आधार (रू0 लाख में)**	**अभ्युक्ति**
1.	पी0पी0ई0 किट का क्रय (100 किट प्रति जनपद एवं 100 किट निदेशालय हेतु) / रू0 331/– प्रतिकिट		7600	25.16	आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु
क्रमांक	**सामग्री/कार्य**	**उपलब्ध संख्या**	**वांछित संख्या**	**अनुमानित धनराशि वार्षिक कार्य योजना 2015–16 के लिए आधार**	**अभ्युक्ति**
2.	फेसमास्क एन–95 (100 मास्क प्रति जनपद) / रू0 100/– प्रतिमास्क		7500	7.50	आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु
3.	सीरोलॉजिकल एवं वायरोलॉजलिकल सर्विलेन्स हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण (क्रायोवाल, डिस्पोजेबिल सिरिन्ज, वाइस वी0टी0एम0, आइसजेल पैक), थर्मोकोल बाक्स, आवश्यक औषधियॉ, डिस्इन्फेक्टेन्टस, एन्टीसेप्टिक्स एवं अन्य व्यय हेतु			15.25	सामान्य सर्विलेन्स हेतु
4.	एवियन इन्फ्लूएन्जा के कारण मृत पक्षियों हेतु मुआवजा धनराशि			10.00	आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु
	योग			**57.91**	

(रूपया सत्तावनन लाख इकयानवे हजार)

7- <u>प्रचार प्रसार एवं जागरूकता:</u>

सामान्य जनता की जानकारी एवं भय को दूर करने हेतु विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जनपदों मे बर्डफ्लू रोग के विषय में आवश्यक जानकारियां लीफलेट, पैम्पलेट के माध्यम से दी जाती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं जिससे कि जन सामान्य में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो तथा वे जागरूक भी रहें।

चूँकि प्रदेश में बैकयार्ड कुक्कुट पालन का कार्य अधिक होता है इस उद्देश्य से बैकयार्ड कुक्कुट पालन से सम्बन्धित सावधानियां एवं बायोसिक्योरिटी उपायो का भी प्रसार किया गया है।

इसी संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त आई0ई0सी0 सामग्री द्वारा भी प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है।

8- मॉक डिमान्ट्रेशन

बर्ड फ्लू रोग होने पर पक्षियों को परित्यक्त करने, कन्ट्रोल, कन्टेनमेन्ट तथा सर्विलेन्स हेतु क्षेत्रवार 4 मॉक डिमान्सट्रेशन दिया जाना प्रस्तावित है।